न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्री सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

अनवान -

सोनू पुत्र श्री मोहर सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी 33 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)।

........प्रार्थी.........

बनाम-
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री अनूपगढ़ (राज.)

उपस्थित :- 1. श्री शेराराम ओड वकील वादी
2. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के अन्तर्गत)

प्रकरण संख्या - 01/2024 **निर्णय दिनांक-28.08.2024**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

1- यह कि प्रार्थी के नाम से चक 7 बी. एल. एम. (बी) का खाता संख्या 82 प.नं. 194/412 मु.नं. 60 का किला नं. 17 ता 20 में 1.012 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा पड़ता है। जिसका प्रार्थी खातेदार टीनेन्ट है एवं रकबा प्रार्थी के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में चला आ रहा है ।

2- यह कि उक्त रकबा का इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से एवं लिपिकीय त्रुटि से उक्त भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोनू के स्थान पर सोनू सिंह अंकित हो गया। जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

3- यह कि अब प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो जाने पता चलने पर प्रार्थी ने सम्बन्धित हल्का पटवारी व तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त भूमि की जमाबन्दी में उसका नाम सही दर्ज करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया है।

4- यह कि उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोनू सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व पहचान के अन्य सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम सोनू ही दर्ज है। जो सही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है।

5- यह कि प्रार्थी के का सही नाम सोनू ही है। जबकि चक 7 बी.एल.डी. (बी) की जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी का नाम सोनू के स्थान पर सोनू सिंह दर्ज हो गया है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सोनू सिंह के स्थान पर सोनू की दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसे दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है ।

6- यह कि शेष बिन्दू वर वक्त पेश किये जायेगे।

7- यह कि मामला माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा बिना किसी देरी के उचित कोर्ट फीस पर तहरीर है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 7 बी.एल.बी. (बी) की जमाबन्दी, राजस्व रिकार्ड में सहवन से सोनू सिंह दर्ज हो गया है, जो सहवन से व लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत इन्द्राज हो गया है। जिसे जरिये दुरूस्ती आदेश सही कर सोनू किया जाने की कृपा करे। आपकी कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 7 बी. एल. एम. (बी) का खाता संख्या 82 प.नं. 194/412 मु.नं. 60 का किला नं. 17 ता 20 में 1.012 है. कमाण्ड सोनू सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति मजबी साकिन 33 जी0बी0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। चक 7 बीएलएम-बी तहसील श्रीविजयनगर में वसीयतनामा के अनुसार वसीयत का नामान्तरण 266 दिनांक 20.07.2018 दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम सोनू सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह दर्ज किया गया जो आदिनांक तक चला आ रहा है।

बहस वकील सुनी गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि चक 7 बी. एल. एम. (बी) के खाता संख्या 82 प.नं. 194/412 मु.नं. 60 का किला नं. 17 ता 20 में 1.012 है. कमाण्ड रकबा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोनू सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति मजबी साकिन 33 जी0बी0 के स्थान पर सोनू पुत्र मोहर सिंह जाति मजबी साकिन 33 जी0बी0 दुरूस्त किया जावे एवं अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनमें प्रार्थी का नाम सोनू पुत्र मोहर सिंह जाति मजबी साकिन 33 जी0बी0 दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी चक 7 बी. एल. एम. (बी) के खाता संख्या 82 प.नं. 194/412 मु.नं. 60 का किला नं. 17 ता 20 में 1.012 है. कमाण्ड रकवा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोनू सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति मजबी साकिन 33 जी0बी0 के स्थान पर सोनू पुत्र मोहर सिंह जाति मजबी साकिन 33 जी0बी0 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर उक्त आदेशानुसार उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/वादी के नाम की दुरूस्ती कर वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सोनू पुत्र मोहर सिंह दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर